पत्रांकः–04 / NULM–06 / 2018 107 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक 11/01/19

विषयः– **दिनांक–15.01.2019 को अप0 5:00 बजे आयोजित आश्रय स्थल के प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु गठित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कमिटी की बैठक में भाग लेने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–2503 दिनांक–09.10.18 एव पत्रांक–2645 दिनांक–29.10.18**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि शहरी आश्रय विहिनों के लिए आश्रय स्थल के निर्माण एवं संचालन हेतु विभाग द्वारा नगर निकायों को निदेशित किया गया है एवं इस हेतु राशि भी उपलब्ध करायी जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या– 55/2003 E.R. Kumar & ANR Vs. Union of India. में पारित न्यायादेश के आलोक में शहरी आश्रय विहिनों के लिए आश्रय स्थल के निर्माण एवं संचालन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इस हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य स्तर पर आश्रय स्थल के प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कमिटी का गठन श्री गिरीश शंकर, सेवानिवृत भा0प्र0से0 की अध्यक्षता में किया गया है। वर्णित कमिटी की बैठक में प्रसांगिक पत्र के माध्यम से आपको भाग लेने हेतु अनुरोध किया गया था। बैठक में भाग नहीं लेने के कारण कमिटी द्वारा काफी असंतोष व्यक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि कमिटी द्वारा नगर निगम पटना क्षेत्रान्तर्गत संचालित स्थायी एवं अस्थायी आश्रय स्थल के प्रगति की समीक्षा किया जाना है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। कमिटी की आगामी बैठक दिनांक–15.01.2019 के अप0 5:00 बजे मेरे कार्यालय कक्ष में निर्धारित है।

अतः वर्णित बैठक में आश्रय स्थल के अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन तथा PPT के साथ ससमय भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
10/1/2019
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।